हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

   श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 26 मार्च, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:**

   (1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: गृह-(जी)ए(3)/2013 दिनांक 18.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-II, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: पब-ए-(3)-44/99 दिनांक 28.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.09.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, वर्ग-II(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए-(3)-1/2013 दिनांक 15.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.09.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, विज्ञापन रूपकार, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: पब-ए-(3)-4/2014 दिनांक 4.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.09.2017 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, तबला मास्टर, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: पब-ए 3(18)99 दिनांक 3.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.11.2017 को प्रकाशित;

(vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

(vii) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 ।

(2) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:5-17/2009-ईएलएन. दिनांक 3.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.11.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 ।

(4) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यजीवी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: फिश-ए(3)-4/2016 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.12.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:फिश-ए(3)-1/2016 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 5.01.2018 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य क्षेत्रीय सहायक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: फिश-ए(3)-5/2004-II दिनांक 9.02.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.03.2018 को प्रकाशित ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम** द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **अष्टम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:32 के अन्तर्गत **अनुसूचित जाति उप योजना** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)** जोकि मांग संख्या:21 के अन्तर्गत **सहकारिता विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **द्वितीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)** जोकि मांग संख्या:5 के अन्तर्गत **राजस्व विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(4) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:9 के अन्तर्गत **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति,सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2017-18),** समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:10 के अन्तर्गत **लोक निर्माण विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(6) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:18 के अन्तर्गत **उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **चतुर्थ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:14 के अन्तर्गत **पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

5.   <u>वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान</u>:-

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171 004   सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 24 मार्च, 2018   सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

सूची सं0-1

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 5 - भू-राजस्व व जिला प्रशासन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	5
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"भू-राजस्व व जिला प्रशासन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री राजेन्द्र राणा,
8. श्री नन्द लाल,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री पवन कुमार काजल,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की भू-व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा ।

****

सूची सं0-2

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 6 - आबकारी और कराधान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	6
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "आबकारी और कराधान" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री जगत सिंह नेगी ।

प्रदेश की आबकारी एवं कराधान नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा ।

****

सूची सं0-3

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"पुलिस और सम्बद्ध संगठन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	7

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री राम लाल ठाकुर,
6. श्री नन्द लाल,
7. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
8. श्री विक्रमादित्य सिंह,
9. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की वर्तमान अग्नि से संरक्षण तथा नियन्त्रण नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की गृह रक्षकों की वर्तमान नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004. सचिव,

दिनांक 21.03.2018 विधान सभा।

****

सूची सं0-4

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8- शिक्षा

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	नीति का अननुमोदन	8

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"शिक्षा"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,
8. श्री नन्द लाल,
9. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
10. श्री विक्रमादित्य सिंह,
11. श्री आशीष बुटेल,
12. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों का रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नये शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय खोलने की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में भर्ती की नीति का अननुमोदन ।
5. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन ।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"शिक्षा"
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री हर्षवर्धन चौहान :

1. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पाठशालाओं में रिक्त पड़े पदों की पदपूर्ति न करने में सरकार की असफलता।
2. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जामना, तत्याना, टिम्बी तथा नैनीधार के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता।
3. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में कफोटा और रोनाहट के महाविद्यालय के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा।

*****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	9

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री राजेन्द्र राणा,
8. श्री नन्द लाल,
9. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
10. श्री राकेश सिंघा,
11. श्री पवन कुमार काजल,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री आशीष बुटेल,
14. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन।
4. सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
5. प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य संस्थान खोलने की नीति का अननुमोदन।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण"
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री हर्षवर्धन चौहान:

(1) मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिलाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिम्बी, रेणुका, जाखना तथा कमराऊ में पैरा-मेडिकल व डाक्टरों की पदपूर्ति न कर पानें में सरकार की असफलता ।

(2) मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिम्बी के भवन निर्माण हेतु धन का प्रावधान न कर पाने में सरकार की असफलता ।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा ।

*****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	नीति का अननुमोदन	10

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,
8. श्री नन्द लाल,
9. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
10. श्री राकेश सिंघा,
11. श्री पवन कुमार काजल,
12. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
13. श्री विक्रमादित्य सिंह,
14. श्री आशीष बुटेल,
15. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की मशीनरी तथा उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की प्रत्येक पंचायत को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की विश्राम गृहों और परिधि गृहों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।
5. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण में कार्यरत्त मजदूरों की नीति का अननुमोदन ।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
''लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन''
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री हर्षवर्धन चौहान:

(1) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पावंटा-शिलाई-मिनस सड़क के कार्य में ठेकेदार द्वारा उचित सामग्री का उपयोग न कर पाने में सरकार की असफलता ।

(2) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग मण्डल, शिलाई में नये जे0सी0बी0, टिप्पर, बुलडोज़र, ट्रक का प्रावधान न कर पाने में सरकार की असफलता ।

(3) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप बी0 एण्ड आर0, मण्डल, शिलाई में सड़कों की मैटलिंग/टॉरिंग न कर पाने में सरकार की असफलता ।

शिमला-171004. **सचिव,**
दिनांक 21.3.2018 **विधान सभा।**

*****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	1. नीति का अननुमोदन	11

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"कृषि"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री राकेश सिंघा,
5. श्री पवन कुमार काजल,
6. श्री आशीष बुटेल ।

1. किसानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन।
5. कृषि विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-8

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)
बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"उद्यान"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्री राम लाल ठाकुर,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री आशीष बुटेल ।

1. बागवानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की अच्छे किस्म के रूट स्टॉक का आयात करने तथा पौध संरक्षण एवं औज़ार क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)
बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री राजेन्द्र राणा,
8. श्री नन्द लाल,
9. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
10. श्री राकेश सिंघा,
11. श्री पवन कुमार काजल,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री आशीष बुटेल,
14. श्री सतपाल सिंह रायजादा।

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई"
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री हर्षवर्धन चौहान:

1. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र शिलाई में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मण्डल पांवटा के अन्तर्गत विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजना व उठाऊ पेय जल योजना को पूर्ण न कर पाने में सरकार की असफलता ।
2. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत शिलाई के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में उठाऊ सिंचाई योजना व उठाऊ पेय जल योजना की पंपिंग मशीनरी को न बदल पाने में सरकार की असफलता।
3. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र शिलाई में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पम्प ऑपरेटरों की पदपूर्ति न कर पाने में सरकार की असफलता ।

शिमला-171004. सचिव,
दिनांक 21.03.2018 विधान सभा।

****

सूची सं0-10

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

<u>मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन</u>

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	16

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"वन और वन्य जीवन"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री नन्द लाल,
8. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री पवन कुमार काजल,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री आशीष बुटेल,
14. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान वनों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की जंगली जानवरों से किसानों/बागवानों को निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-11

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	18

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
2. **श्रीमती आशा कुमारी,**
3. **श्री राजेन्द्र राणा,**
4. **श्री राकेश सिंघा,**
5. **श्री पवन कुमार काजल ।**

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की पुन: संरचना की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

*****

सूची सं0-12

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 25 - सड़क और जल परिवहन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"सड़क और जल परिवहन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	25

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राजेन्द्र राणा,
7. श्री नन्द लाल,
8. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री पवन कुमार काजल,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की वर्तमान परिवहन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की बस अडडों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की नई बसें क्रय करने तथा आम जन-मानस तक सुविधा पहुंचाने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-13

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	26
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"पर्यटन और नागर विमानन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
5. श्री विक्रमादित्य सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की हवाई पट्टी/ हेलीपैड के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नई राहें नई मंजिले नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-14

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	28
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "**शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास**" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री अनिरूद्ध सिंह,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री विक्रमादित्य सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान नगर एवं ग्राम योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की नगर एवं उप-नगरों में सफाई, पार्किंग, मल निकासी नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्मार्ट सिटी बनाने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा ।

****

सूची सं0-15

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	32
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"अनुसूचित जाति उप-योजना"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री हर्षवर्धन चौहान:

1. सरकार की वर्तमान अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में सामाजिक सुरक्षा पैंशन की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****